कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)

Email id – dfo-ramgarh@gov.in, Land Line No-06553-296061 Mobile No-8987790306

पत्रांकः– 1643 दिनांकः– 12/07/25

सेवा में,

उप महाप्रबंधक (जे.सी.पी.)
पावरग्रिड, रांची।

विषय :– **400 के0वी0 पतरातु से लातेहार ट्रांशमिशन लाईन निर्माण हेतु रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजित होने वाली 12.247 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– **1. आपका पत्रांक– 78 दिनांक 11.06.2025**
2. आपका पत्रांक–91 दिनांक 08.07.2025

महाशय,

प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि 400 के0वी0 पतरातु से लातेहार ट्रांशमिशन लाईन निर्माण हेतु रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजित होने वाली 12.247 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव 01 प्रति (हार्ड कॉपी) में इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

प्राप्त हार्ड कॉपी के अवलोकन एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि उक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ हैः–

1. समर्पित प्रस्ताव के साथ Form A, Part-I संलग्न नहीं किया गया है।
2. अपयोजित की जाने वाली भूमि का टोपो सीट मैप निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं है, यथा टोपोसीट का Serial No, Latitude and longitude grid अंकित नहीं है।
3. प्रसंगाधीन पत्र (2) द्वारा प्राप्त वन भूमि पर अवस्थित वृक्षों की गणना सूची में वन क्षेत्र पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है अतः हस्ताक्षरोपरान्त पुनः समर्पित किया जाय।

इसके अतिरिक्त परिवेश पोर्टल पर आपके द्वारा अपलोड किए गए Form A, Part-I में भी निम्नलिखित कमियाँ हैः–

1. Justification is not appropriate. Justification should be about necessity of project combined with choice of alignment, while in uploaded justification only choice of alignment has been focused upon.
2. No signature on justification for locating the Project in forest land document.
3. GMJJ NOC from appropriate authority is not uploaded.
4. Toposheet can be optimised and re-uploaded with toposheet number and lat- long.
5. Undertaking regarding compliance with new van sambardhan Avam Sanrakshan Adhiniyam, 2023 and rules framed there under.

अतः प्रस्ताव की मूल एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव 08 प्रतियों में इस कार्यालय में समर्पित करना एवं परिवेश पोर्टल पर तदनुसार संशोधन करना सुनिश्चित करें ताकि यथोचित अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

आपका विश्वासी,

Nitish 12/7/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ।

D:\Mukesh Data\Data-1\DFO Office-Com-1\Shashi Dubey\FC Act\FC Act Letter\FC Act Misc. Letter- From 04.01.2025.Docx
203